

नम्बर  
अहकाम  
हुक्म के  
में है

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 06 / 20-20 ज० पत्र

1. श्रीमती जन्तू 46 हेमराज किनावत नि० गोपालपुरा तह करेड़ा —प्रार्थी।

बनाम

1. श्री श्यामदास 56 लक्ष्मीनारायण वैखव नि० वैमाली - करेड़ा —विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 22/9/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0 भू0 राज0 अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वैमाली पटवार हल्का वैमाली भू0अ0नि0 क्षेत्र वैमाली में उनके खाता संख्या 1012 की आ0नं 3519 रकबा 1.02 बीघा 3513 रकबा 1.04 बीघा, 3781/3501 रकबा 0.14 बीघा जिक्रिता 3 रकबा 3.00 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/9/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेशः


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वैमाली पटवार हल्का वैमाली भू0अ0नि0 क्षेत्र वैमाली में उनके खाता संख्या 1012 की आ0नं 3519 रकबा 1.02 बीघा, 3513 रकबा 1.04 बीघा, 3781/3501 रकबा 0.14 बीघा जिक्रिता 3 रकबा 3.00 बीघा

भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 वैमाली को 500/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंगन :- प्रार्थना पत्र प्रति।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

